मैनुअल – 13

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

Manual - 13

Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it

संख्या– 3167 /उन्तीस/05–(59पे0)/2004 (1)

प्रेषक

कुँवर सिंह
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवामे

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जलसंस्थान
देहरादून

पेयजल अनुभाग–1

देहरादून:दिनांक 19 अक्टू. 2005

विषय जनपद हरिद्वार में उत्तरांचल जलसंस्थान द्वारा जलमूल्य आदि का पुनरीक्षित टैरिफ लागू किया जाना ।

महोदय

जनपद हरिद्वार में जलसम्भरण सम्बन्धी सेवाओं में सुधार करने एंव राज्य में पेयजल व्यवस्था में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अधिसूचनासं0–1920/नौ–2(63पे0)I/2002 दिनांक 29 जुलाई 2002 द्वारा जनपद हरिद्वार की जलसम्भरण व्यवस्था का अनुरक्षण एंव रखरखाव जलसंस्थान के अधीन किया गया है । जलसंस्थान द्वारा 01 अक्टूबर 2003 से पूरे राज्य में टैरिफ की पुनरीक्षित दरें लागू की गयी किन्तु जनपद हरिद्वार में इसे स्थगित किया गया ।

2– जनपद हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में पुनरीक्षित दरों के आधार पर टैरिफ की वसूली की जा रही है । पेयजल योजनाओं के संचालन,अनुरक्षण आदि कार्यो में व्यय होने वाली धनराशि एंव विद्युत आधारित योजनाओं के अत्यधिक विद्युत व्यय को दृष्टिगत रखते हुए जनपद हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में समान रूप से टैरिफ लागू किया जाना अत्यन्त आवश्यक एंव अपरिहार्य है ।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव पर विचारोपरान्त लिये गये निर्णय अनुसार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए धर्मशालाओं एंव आश्रमों में वर्तमान में लागू जलमूल्य की अघरेलू दरों के स्थान पर घरेलू दरें लागू की जायेंगी,शेष यथावत् रहेंगी । कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– /उन्तीस/05–(59पे0)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त,कुमायूँ /गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/ पौड़ी ।
2–समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
3–निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री/मा0 शहरी विकास मंत्री जी ।
4–गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल अनुभाग–1
संख्या– 172/उन्तीस(1)/2009–(59पे0)/04
देहरादून : दिनांक– 13 फरवरी.2009

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 52 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से सम्पूर्ण राज्य में लागू जलकर एवं सीवर कर को समाप्त करने तथा उपभोक्ताओं पर बकाया जलकर एवं सीवरकर की धनराशि को माफ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एम0एच0 खान)
सचिव।

संख्या–172 (1)/उन्तीस(1)/2009–(59पे0)/04, तद्‌दिनांक।

संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने तथा उसकी 50 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय सिंह नबियाल)
अपर, सचिव।

संख्या–172 (2)/उन्तीस(1)/2009–(59पे0)/04, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2– निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4– स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8– निदेशक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10– अपर सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।
11– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
12– मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
13– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
15– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

क्रम संख्या–272

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

27/2019

10385
05.04.09

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2008 ई०
पौष 05, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 215/XXXVI (3)/28/2008
देहरादून, 26 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) विधेयक, 2008' पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008

(अधिनियम संख्या 12, वर्ष 2008)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 52 में उपधारा (3) का अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 52 में उपधारा (2) के पश्चात् एक नई उपधारा (3) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) उप धारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, जलकर और सीवर कर को समाप्त अथवा स्थगित कर सकेगी तथा बकाये की धनराशि भी माफ कर सकेगी।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewarage Act, 1975) (Amendment) Bill, 2008 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 12 of 2008) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 24, 2008.

No. 215/XXXVI(3)/28/2008

Dated Dehradun, December 26, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND (THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWARAGE ACT, 1975) (AMENDMENT) ACT, 2008

(ACT No. 12 of 2008)

Further to amend the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewarage Act, 1975) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007 in the context of the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted by the Fifty Nineth Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewarage Act, 1975) (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of a new sub-section (3) in section 52

2. In the Uttarakhand (The Uttar Pradesh Water Supply and Sewarage Act, 1975) (Adaptation and Modification Order, 2002) Adaptation and Modification Order, 2007, a new sub-section (3) shall be inserted after sub-section (2) in section 52, namely:--

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and sub-section (2), the State Government may abolish or suspend water tax and sewer tax by Notification and may also waive the amount of arrears."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 विधायी / 03—2009—100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, "जल भवन", बी–ब्लॉक, नेहरु कालोनी, देहरादून

30 जनवरी, 2013 ई0

पत्रांक/5722/वि0अनु0/02/टैरिफ/2012–13–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड के अनुमोदन एवं शासनादेश संख्या 118/उन्तीस (1)/2013–(59पे0)/2004 पेयजल अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2013 के अनुपालन में उत्तराखण्ड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची में दर्शायी गयी पुनरीक्षित दरें सरकारी गजट में प्रकाशित कर, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करता है।

1. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह घरेलू नगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु नगरपालिका परिषद् द्वारा निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यॉंकन (Annual Rental Value) पर 15 एम0एम0 के संयोजन हेतु–

क्र0 सं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	₹ 360.00 तक	90.00	95.00	102.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	95.00	102.00	110.00
3.	₹ 2,001.00 से 3,500.00 तक	112.00	120.00	135.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	150.00	164.00	187.00
5.	₹ 6.001.00 से 8,000.00 तक	179.00	187.00	224.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00 तक	209.00	224.00	239.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	224.00	239.00	260.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	239.00	260.00	275.00
9.	₹ 14,001.00 से अधिक	325.00	350.00	375.00

नोट–(1) नगर क्षेत्र में जिन भवनों में अध्यासी द्वारा अलग से संयोजन लिया हुआ है किन्तु उनके नाम से वार्षिक मूल्यांकन अंकित नहीं है, ऐसे उपभोक्ताओं से ₹ 360.00 तक के लिये निर्धारित भवन के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा।

(2) ऐसे स्थान जहां पर गुरूत्व, लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(3) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

2. घरेलू न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) (₹ प्रतिमाह) नगरीय एवं ग्रामीण, 15 एम0एम0 से अतिरिक्त मीटर साईज के कनैक्शन हेतु :–

क्र0 सं0	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लो हैड	हाई हैड
1.	20	380.00	450.00	520.00
2.	25	600.00	750.00	900.00

टिप्पणी–

(क) घरेलू उपयोग के लिये 25 एम0एम0 फेरूल साईज से ऊपर के संयोजन आवास विकास परिषद्/सरकारी/अर्द्ध सरकारी कालोनी एवं सरकारी आवासीय समितियों को छोड़कर अन्य किसी को नहीं दिये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त 25 एम0एम0 व्यास से अधिक के वर्तमान जल संयोजनों के लिये दरें, अनुबन्ध के आधार पर निर्धारित की जायेंगी। अघरेलू की अन्य दरें व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये निर्धारित दर से कम नहीं होगी।

(ख) ऐसे स्थान जहां पर गुरूत्व, लौहेड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा।

(ग) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

3. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ प्रतिमाह जहां भवन का वार्षिक मूल्यांकन नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र की घरेलू जलापूर्ति–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	एक टोंटीयुक्त जल संयोजन	55.00	60.00	67.00
2.	दो टोंटीयुक्त जल संयोजन	67.00	75.00	90.00
3.	तीन टोंटीयुक्त जल संयोजन	90.00	112.00	135.00
4.	चार टोंटीयुक्त या उससे अधिक	112.00	135.00	150.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

4. जल मूल्य दरें (अघरेलू मीटरयुक्त संयोजन) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1	2	3	4	5
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र–			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	12.50	15.60	18.75
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	11.00	12.50	16.50
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद्	10.50	12.00	16.50
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि0 बहुउद्देशीय	10.50	10.50	16.50
3.	ग्रामीण क्षेत्र	10.50	10.50	16.50

नोट–(1) जलमूल्य बिल के निर्गम तिथि के 30 दिवस के अन्तर्गत भुगतान करने पर जलमूल्य धनराशि के 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल चालू वर्ष की मांग पर अनुमन्य होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

5. न्यूनतम प्रभार (अनमीटर्ड) ₹ (15 एम0एम0 मीटर अघरेलू जलापूर्ति हेतु)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	नगरपालिका परिषद् क्षेत्र–			
	(क) विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक	415.00	550.00	700.00
	(ख) अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान	380.00	450.00	520.00
	(ग) अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान/छावनी परिषद्	375.00	425.00	485.00
2.	नगर पंचायत क्षेत्र/म्यूनि0 बहुउद्देशीय	235.00	315.00	350.00
3.	ग्रामीण क्षेत्र	175.00	195.00	235.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 10 किलोलीटर तक खपत के लिये है।

(2) न्यूनतम प्रभार पर छूट देय नहीं होगी अर्थात् 10,000 लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही निर्धारित तिथि तक भुगतान होने पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(3) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लाण्ट, गैराज सर्विस, स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय–समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।

(5) ऐसे स्थान जहां गुरूत्व लोहैड एवं हाईहैड में से एक से अधिक प्रकार की जलापूर्ति हो, वहां उच्च श्रेणी की दरों से जलमूल्य लिया जाएगा।

(6) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

6. जलमूल्य दरें (मीटरयुक्त घरेलू संयोजन हेतु) ₹ प्रति किलो लीटर (प्रतिमाह)–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर		
		गुरूत्व	लोहैड	हाईहैड
1.	घरेलू दरें, मीटर युक्त (दर ₹ प्रति कि0ली0)			
	(क) नगर क्षेत्र	4.00	5.50	6.25
	(ख) ग्रामीण क्षेत्र	3.10	4.70	6.25

नोट–(1) निर्धारित तिथि तक बिल भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट वर्ष की चालू मांग पर देय होगी।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (अ) घरेलू श्रेणी के सीवर संयोजनों वाले भवनों के लिये निर्धारित सीवर संयोजन शुल्क (चार्ज) प्रतिमाह प्रति संयोजन–

क्र0 सं0	भवन का वार्षिक मूल्यांकन	पुनरीक्षित दर
1.	₹ 360.00 तक	12.00
2.	₹ 361.00 से 2,000.00 तक	18.00
3.	₹ 2,001 से 3500.00 तक	27.00
4.	₹ 3,501.00 से 6,000.00 तक	30.00
5.	₹ 6,001.00 से 8,000.00 तक	35.00
6.	₹ 8,001.00 से 10,000.00	40.00
7.	₹ 10,001.00 से 12,000.00 तक	45.00
8.	₹ 12,001.00 से 14,000.00 तक	50.00
9.	₹ 14,001.00 से ऊपर	60.00

नोट–(1) उपरोक्त दरें एक संयोजन के लिये हैं, दो या अधिक सीवर संयोजनों पर प्रतिमाह उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

7. (ब) अघरेलू श्रेणी में वर्गीकृत विभिन्न श्रेणी के सीवर उपभोक्ताओं के लिये प्रतिसीट प्रतिमाह सीवर शीट चार्ज–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	अघरेलू श्रेणी प्रतिशीट प्रतिमाह	27.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

8. विकास शुल्क (₹ में)–

घरेलू/अघरेलू जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था पर पूंजिगत व्यय के लिये विकास शुल्क (प्लाट एरिया पर) ₹ में निम्नानुसार होगा :–

परिक्षेत्र	विकास शुल्क (जलापूर्ति व्यवस्था)					
	गुरुत्व		लोहैड		हाईहैड	
	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रति वर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार	दरें प्रतिवर्ग मीटर प्लॉट एरिया पर	न्यूनतम प्रभार
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00
	विकास शुल्क (सीवर व्यवस्था)					
नगरीय	11.00	1100.00	15.00	1500.00	22.00	2200.00
ग्रामीण	4.00	400.00	7.25	725.00	11.00	1100.00

नोट–(1) न्यूनतम प्रभार 100 वर्गमीटर प्लॉट एरिया के लिये निर्धारित है किन्तु जल/सीवर संयोजन के आवेदन पर निम्न आय वर्ग वाले जिनका प्लॉट एरिया 100 वर्गमीटर से कम है, ऐसे आवेदकों से वास्तविक प्लॉट एरिया पर न्यूनतम प्रभार के स्थान पर प्रतिवर्गमीटर हेतु निर्धारित दर से विकास शुल्क लिया जायेगा।

(2) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

9. मीटर किराये की दरें प्रतिमाह (₹ में)–

क्रमांक	मीटर साईज (एम0एम0)	पुनरीक्षित दर
1.	15	7.50
2.	20	9.00
3.	25	12.00
4.	32	13.00
5.	40	15.00
6.	50	22.00
7.	80	30.00
8.	100	45.00
9.	150 और उससे अधिक	60.00

नोट–उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

10. औद्योगिक, व्यावसायिक, भवन निर्माण आदि हेतु न्यूनतम दरें न्यूनतम प्रभार (अघरेलू) ₹ प्रतिमाह–

क्र0 सं0	मीटर साईज (एम0 एम0)	विशेष श्रेणी एवं औद्योगिक			अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान			अन्य सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं संस्थागत प्रतिष्ठान			म्यूनिसिपल बहुउद्देशीय			छावनी परिषद्		
		गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड	गुरूत्व	लोहैड	हाई हैड
1.	20	1047	1196	1346	1047	1196	1346	523	598	673	523	598	673	523	598	673
2.	25	2243	2542	2691	2243	2542	2691	1121	1271	1346	1121	1271	1346	1121	1271	1346
3.	50	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934	4037	4485	4934
4.	80	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027	4934	5980	7027
5.	100	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764	6429	8522	10764
6.	150	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010	9419	11213	13010

टिप्पणी: (1) भवन निर्माण/परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिये–

(क) ₹ 45.00 प्रतिवर्ग मीटर प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल पर अथवा जहां नक्शा नहीं पारित हो, वहां भू–खण्ड क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत क्षेत्रफल पर एक मुश्त।

(ख) निर्माण कार्य हेतु जल संयोजन की तिथि के डेढ़ वर्ष के पश्चात् जल उपयोग के प्रयोजन के अनुसार न्यूनतम प्रभार की दरों से जलमूल्य लिया जायेगा। डेढ़ वर्ष में निर्माण कार्य पूरा न होने पर सम्पत्ति के प्रयोजन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रभार दर से जलमूल्य लिया जायेगा।

(ग) निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही अग्रिम जलमूल्य का समायोजन किया जायेगा परन्तु निर्धारित दरों पर यदि उपयुक्त मात्रा का मूल्य कम होगा तो शेष धनराशि वापस नहीं की जायेगी। इस धनराशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जायेगा।

(2) विशेष श्रेणी में स्टार होटल, नर्सिंग होम, कोल्ड स्टोरेज, आईस फैक्ट्री, बाटलिंग प्लॉण्ट, गैराज सर्विस स्टेशन, आवासीय विद्यालय तथा समय–समय पर अधिसूचित अन्य प्रतिष्ठान सम्मिलित होंगे।

(3) राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को संस्थागत संयोजन के स्थान पर घरेलू श्रेणी की श्रेणी में रखा जायेगा।

(4) निर्माण हेतु 25 एम0एम0 से ऊपर के जल संयोजन नहीं दिये जायेंगे।

(5) उक्त दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि प्रभावी होगी।

11. विलम्ब शुल्क–

उत्तराखण्ड जल संस्थान के देयकों का समयान्तर्गत भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से "सरचार्ज" की व्यवस्था के स्थान पर अब "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा :–

(1) न्यूनतम प्रभार पर छूट अनुमन्य नहीं होगी अर्थात् 10 हजार लीटर प्रतिमाह पेयजल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में विलम्ब अवधि के लिये 5.00 प्रतिशत मासिक दर से "विलम्ब शुल्क" लिया जायेगा।

12. सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज)–

(1) प्रति परिवार प्रतिमाह ₹ 10.00।

(2) परिवार का अर्थ एक चूल्हे पर बने खाने से है।

(3) निर्धारित समय अवधि के अन्दर बीजक का भुगतान करने पर ₹ 0.50 (पचास पैसे मात्र) प्रति परिवार प्रतिमाह छूट देय होगी।

13. विविध शुल्क–

क्र0 सं0	विवरण	पुनरीक्षित दर
1.	जल संयोजन प्रार्थना–पत्र शुल्क	25.00
2.	जल संयोजन विच्छेदन शुल्क	500.00
3.	जल संयोजन पुनर्संयोजन शुल्क	500.00
4.	सीवर संयोजन शुल्क (प्रति संयोजन)	25.00
5.	सार्वजनिक मार्ग पर निर्मित होने वाले मेनहॉल बोरिंग शुल्क	250.00
6.	मेन हॉल बोरिंग शुल्क	100.00
7.	मीटर टेस्टिंग शुल्क	
	(अ) 15 एम0एम0 से 25 एम0एम0	50.00
	(ब) 50 एम0एम0 से 150 एम0एम0	100.00

नोट–(1) अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति, निराश्रित, सैनिक विधवायें, भूमिहीन श्रमिक, बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवार तथा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी समस्त जमानतों, अग्रिम धन तथा विविध शुल्कों से मुक्त रहेंगे।

(2) एक जल संयोजन के लिये जलमूल्य की दरों पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ, दिनांक 01.01.2013

से उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा पेंशनरों को प्रचलित टैरिफ पर अनुमन्य होगा।

(3) उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जिन दरों को पुनरीक्षित या समाप्त नहीं किया गया है, वह पूर्व प्रमावी टैरिफ की व्यवस्थानुसार यथावत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ प्रमावी रहेंगी।

(4) राजपत्र दिनांक 31–12–2005, भाग 1–क में प्रकाशित व्यवस्था यथावत लागू रहेंगी।

(5) सभी श्रेणी की दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रमावी दरों में प्रत्येक वर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि ठीक एक वर्ष पश्चात् प्रमावी होगी अर्थात आगामी वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 को होगी।

डी0 डी0 डिमरी,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 02–02–2013, भाग 1–क में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 1 पेय जल/131–20–02–2013–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या : 563/ उन्तीस (1)/2014/(59 पे0)/2004

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

921
30/5/14

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक : 27 मई, 2014**

विषयः आपदा प्रभावित श्रेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं के पेयजल बिलों को माफ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वर्ष में जून, 2013 की आपदा से प्रभावित चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालित किए जाने एवं यात्रा को प्रोत्साहित किए जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री केदारनाथ धाम के यात्रा पड़ाव तिलवाड़ा से श्री केदारनाथ धाम तक, श्री बद्रीनाथ धाम के यात्रा पड़ाव जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम तक, गंगोत्री धाम के यात्रा पड़ाव गंगनाणी से गंगोत्री तक एवं यमुनोत्री धाम के यात्रा पड़ाव बड़कोट से यमुनोत्री तक मुख्य मार्ग से सटे हुए (दोनों तरफ अवस्थित) व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, रेस्त्रां, लॉज, ढाबा, सराय एवं धर्मशाला) को सम्बन्धित जिलाधिकारी की संस्तुति पर आगामी तीन वर्षों (मार्च, 2017) तक पेयजल देयकों से मुक्त रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त अवधि के पेयजल देयकों की प्रतिपूर्ति मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाएगी।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल।
6. जिलाधिकारी, चमोली, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

म0प्र0(मु0)/ डी0आर0एम0/ अ0 अ0अधि0

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड जल संस्थान
अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2015 ई0

संख्या 1369/उन्तीस(1)/2015/(59 पे0)/2004–शासनादेश संख्या 1296/उन्तीस(1)/2015/(59 पे0)/2004, पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59(1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013, राजपत्र दिनांक 02–02–2013, भाग–1 में प्रकाशित टैरिफ के प्रस्तर–01 के क्रमांक 01, 02 एवं 03, प्रस्तर–03 के क्रमांक 01 एवं 02 तथा प्रस्तर–07(अ) के क्रमांक 01, 02 एवं 03 श्रेणी के पेयजल एवं सीवर उपभोक्ताओं हेतु जलमूल्य एवं सीवर शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटाकर 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष, सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिनांक 01 नवम्बर, 2015 से पुनरीक्षित किया जाता है। अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 को इस भाग तक संशोधित समझा जाए।

एस0 के0 गुप्ता,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 12–12–2015, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित–––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 4 पेयजल/745–31–12–2015–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड जल संस्थान

अधिसूचना

06 जुलाई, 2016 ई0

संख्या 913/उन्तीस (1)/2016/(59 पे0)/2004–पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1, देहरादून, दिनांक 06 जुलाई, 2016 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड, (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 25 की उपधारा (2), (6) एवं धारा 59 (1), (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013, राजपत्र दिनांक 02–02–2013, भाग–1 में प्रकाशित टैरिफ के प्रस्तर–01 के क्रमांक 04 से 09, प्रस्तर–03 के क्रमांक 03 एवं 04 में अंकित श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु जलमूल्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि को घटाकर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा प्रस्तर–12 में उल्लिखित सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क (पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट चार्जेज) के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के स्थान पर 09 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दिनांक 01 जुलाई, 2016 से पुनरीक्षित किया जाता है। अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एस0 के0 गुप्ता,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 01–10–2016, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02/पेयजल/539–15–10–2016–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या : 1622 / उन्तीस (1) / 2017 / (59पे0) / 2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉंकी,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

विषय: **प्रदेश के अन्तर्गत जल मूल्य एवं सीवर शुल्क के अवशेष देयों (Arrear) के एकमुश्त भुगतान पर बिलम्ब शुल्क (Late fee) की देयता में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 के माध्यम से किया गया है, जिसमें बिलम्ब अवधि के लिए 5 प्रतिशत मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिए जाने का प्राविधान था, जिसे अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2015 द्वारा पुनरीक्षित करते हुए 1.50 प्रतिशत किया गया।

2- तत्क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार राज्य में पेयजल उपभोक्ताओं को जल मूल्य/सीवर शुल्क के देय अवशेष देयकों (Arrear) के एकमुश्त भुगतान पर विलम्ब शुल्क में दिनांक 01.01.2018 से 15.03.2018 तक निम्न विवरणानुसार छूट प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	एकमुश्त भुगतान की अवधि	विलम्ब शुल्क पर देय छूट
1.	दिनांक 01.01.2018 से 31.01.2018 तक की अवधि में एकमुश्त भुगतान करने की दशा में।	100 प्रतिशत
2.	दिनांक 01.02.2018 से 15.02.2018 तक की अवधि में एकमुश्त भुगतान करने की दशा में।	75 प्रतिशत
3.	दिनांक 16.02.2018 से 28.02.2018 तक की अवधि में एकमुश्त भुगतान करने की दशा में।	60 प्रतिशत
4.	दिनांक 01.03.2018 से 15.03.2018 तक की अवधि में एकमुश्त भुगतान करने की दशा में।	50 प्रतिशत

3– अतः राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं को देय जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों (Arrear) के एकमुश्त भुगतान हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार तथा विशेष शिविर आयोजित कराते हुए अवशेष देयकों (Arrear) की वसूली हेतु दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 15.03.2018 तक विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉंकी),
सचिव (प्रभारी)।

संख्या 264 / उन्तीस (1) / 2019 / (04 अधि0) / 2011

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्याँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2019

विषयः टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पूर्व लम्बित जल मूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों को माफ करने एवं प्रतिपूर्ति अनुदान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के पत्र संख्या 04 / 2 / V / XXI / 2019–सी0एक्स0, दिनांक 03.03.2019 द्वारा प्राप्त मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पूर्व लम्बित जल मूल्य एवं सीवर शुल्क देयकों को माफ / समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि पेयजल एवं सीवर योजनाओं के रख–रखाव एवं संचालन पर वर्ष 2006–07 से वर्ष 2017–18 तक की कुल व्यय धनराशि ₹ 75.88 करोड़ में से वसूल की गई धनराशि ₹ 5.83 करोड़ को घटाते हुए अवशेष धनराशि ₹ 70.05 करोड़ का भुगतान टी.एच.डी.सी. / ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन किये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाय तथा उक्त देयकों को माफ / समाप्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग को हुई आर्थिक हानि ₹ 15.57 करोड़ की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान को की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रभावित परिवारों से भविष्य में जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की वसूली के विषय में संस्तुतियां दिये जाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–263 / उन्तीस(1) / 2019 / (04 अधि0) / 2011, दिनांक 07.03.2019 द्वारा मा0 पेयजल मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल की उप समिति गठित की गई है।

2057
08-03-19

OSD / Sri Rawat ji

कृपया शासन के उक्त निर्णय के क्रम में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

8/3
Chief General Manager

पत्र सं0– / उन्तीस (1) / 2019–(04 अधि0) 2011, तददिनांकितः–

संख्या एवं दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल / हरिद्वार / देहरादून।
3. निजी सचिव– मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड जल संस्थान
अधिसूचना

05 अगस्त, 2019 ई0

संख्या 751/उन्तीस (1)/19/(59 पे0)2004–पत्र संख्या–864, दिनांक 22.05.2019 एवं शासनादेश संख्या–490/उन्तीस(1)/2019/(59पे0)/2004 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1, दिनांक 22 जुलाई, 2019 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–25(6) एवं धारा 59 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013, राजपत्र दिनांक 02.02.2013, भाग–1 में प्रकाशित टैरिफ में संशोधन कर, राज्य के शुलभ शौचालयों से "अघरेलू" के स्थान पर "घरेलू" (₹ 360.00 तक के वार्षिक मूल्यांकन वाले भवनों हेतु निर्धारित 'लोहैड' श्रेणी की दरों) पर जलमूल्य, सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से पुनरीक्षित किया जाता है। अधिसूचना दिनांक 30 जनवरी, 2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

एस0 के0 शर्मा,
मुख्य महाप्रबन्धक।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 17–08–2019, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03/पेयजल/413–04–09–2019–100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल अनुभाग–1
संख्या : मेमो/XXIX(01)/2020
देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में **COVID**-19 के संकट को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू/व्यावसायिक) के विरूद्ध जल मूल्य/सीवर शुल्क के पूर्व लम्बित एवं वर्तमान में सृजित होने वाले देयों की वसूली दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित की जाती है। इस निर्णय के आलोक में जिन उपभोक्ताओं के द्वारा दिनांक 31.05.2020 तक की अवधि में पूर्व लम्बित/वर्तमान में सृजित देयकों का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, उनके जल/सीवर संयोजन स्थगन अवधि (31.05.2020 तक) विच्छेदित नहीं किए जायेंगे और ऐसे उपभोक्ताओं के द्वारा दिनांक 31.05.2020 के उपरान्त देयकों का भुगतान किए जाने पर स्थगन अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क/सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

1845
05-05-2020

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्या : मेमो (1)/XXIX(01)/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
7. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।
10. निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
11. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।

OSD/Sri Ramdev

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्या : 389/उन्तीस (1)/2020/(59 पे0)/2004
देहरादून : दिनांक 18 जून, 2020

कार्यालय ज्ञाप

COVID-19 के क्रम में लॉकडाउन के प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत जल मूल्य की उपभोक्ताओं से वसूली स्थगित किये जाने विषयक विभिन्न स्रोतों से की जा रही मांग के आलोक में शासनादेश दिनांक 31.03.2020 के द्वारा पेयजल एवं सीवर सुविधाओं के समस्त उपभोक्ताओं (घरेलू एवं व्यवसायिक दोनों) के विरूद्ध जल मूल्य/सीवर शुल्क के पूर्व लम्बित एवं वर्तमान सृजित देयकों की वसूली दिनांक 31.05.2020 तक स्थगित करते हुए ऐसे देयकों का भुगतान दिनांक 31.05.2020 के उपरान्त किये जाने पर स्थगित अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क/सरचार्ज नहीं लिए जाने के आदेश पूर्व में निर्गत किये गये हैं।

2– COVID-19 के क्रम में लॉकडाउन के कारण पर्यटन व्यवसायियों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत पर्यटन इकाईयों/व्यवसायियों को जल मूल्य के भुगतान में राहत प्रदान करने के दृष्टि से वार्षिक जल मूल्य वृद्धि की व्यवस्था में निम्नवत् शिथिलीकरण/संशोधन करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) अघरेलू/व्यवसायिक श्रेणी में जल संयोजन प्राप्त करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं जो कि पर्यटन व्यवसाय से सम्बन्धित हैं, के सम्बन्ध में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक जल मूल्य वृद्धि वर्तमान प्रचलित 15 प्रतिशत की दर के स्थान पर 09 प्रतिशत (06 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए) की दर पर की जायेगी। इसके फलस्वरूप जल संस्थान को लगभग रू. 1.87 करोड़ (एक करोड़ सत्तासी लाख मात्र) की वित्तीय हानि होगी। प्रदेश में ऐसे होम स्टे इकाईयां जिन्हें पूर्व में ही घरेलू जल मूल्य की दरें अनुमन्य की गयी हैं, में से जिन उपभोक्ताओं/होम स्टे इकाईयों पर घरेलू वार्षिक जल मूल्य वृद्धि 11 प्रतिशत देय होती है, उनके सम्बन्ध में भी वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के स्थान पर 09 प्रतिशत की दर पर की जायेगी।

(2) राज्य की होम स्टे नीति के अनुसार होम स्टे पर घरेलू दरें लागू हैं तथा तद्नुसार ही वार्षिक वृद्धि की जाती है। पर्यटन व्यवसायियों के सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2020.–2021 01 वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि 15 प्रतिशत के स्थान पर 09 प्रतिशत संशोधित किये जाने के क्रम में दी जाने वाली छूट होम स्टे पर लगने वाले वार्षिक वृद्धि दर से अधिक हो तो, ऐसी छूट का लाभ होम स्टे पर भी लागू होगा।

(3) वार्षिक जल मूल्य वृद्धि में उक्तानुसार अनुमन्य छूट उन्हीं व्यवसायियों/इकाईयों को प्राप्त होगी जिन्होंने या तो जल संयोजन पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधि/इकाई के नाम से ही ले रखा है अथवा जिन्होंने पर्यटन विभाग में पर्यटन इकाई के रूप में अपना पंजीकरण करा रखा है अथवा जिन्होंने पर्यटन इकाई के रूप में पर्यटन विभाग से कोविड–19/लॉकडाउन से सम्बन्धित कोई छूट/लाभ प्राप्त कर लिया गया है। माह जून में नये वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बिल तो वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार ही वार्षिक वृद्धि के साथ निर्गत किए

जायेंगे किन्तु जो उपभोक्ता उक्त लाभ की परिधि में आते हैं, उनके द्वारा संगत अभिलेखों/प्रमाणों के साथ आवेदन करने पर जल संस्थान के द्वारा उनके बिलों को संशोधित कर दिया जाएगा किन्तु वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के उपरान्त उक्त छूट स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(4) उक्तानुसार छूट प्रदान करने पर उक्त वित्तीय वर्ष 2020–21 में जल संस्थान को होने वाली वित्तीय हानि की धनराशि की प्रतिपूर्ति मुख्यमंत्री राहत कोष से की जायेगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या– 64XXVII(2)/2020, दिनांक 15.06.2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

संख्या :389/उन्तीस (1)/2020/(59 पे0)/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण को मा0 मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
8. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव

कार्यालय, मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, "जल भवन" बी0ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून

ई0मेल से प्रेषित

....

पत्रांक :– 784 /वि0अनु0–02/टैरिफ 2020–21 दिनांक 22/06/2020

प्रतिलिपिः–निम्न लिखित को उत्तराखण्ड शासन, पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0 389/उन्तीस(1) 2020 (59पे0) 2004 देहरादून दिनांक 18.06 2020 की अनुपालन/प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, ...।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान,..........।
4. श्री मनोज भट्ट, संगणक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान

संख्या–714/उन्तीस(1)/2020–(59 पे0) 2004

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2020

विषय : 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के सफल कियान्वयन हेतु ग्रामीण पेयजल उपमोक्ताओं को जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था को सरलीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 239/वि0अनु0/02/टैरिफ/2020–21 दिनांक 19.05.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 30 जनवरी 2013 द्वारा निर्धारित टैरिफ में आंशिक संशोधन करते हुये 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत निर्मित योजनाओं के उपभोक्ताओं से निजी घरेलू संयोजन लेने पर देय संयोजन शुल्क की वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निजी घरेलू संयोजनों में संयोजन शुल्क निम्नवत् लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

विवरण	औसत शुल्क (रू)
प्रार्थना पत्र शुल्क	25.00
विकास शुल्क	1.00
जलमूल्य अग्रिम	(प्रतीकात्मक)
सुपरविजन चार्जेज	
योग	26.00

2– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–203/XXVII(2)/2020 दिनांक 22 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली)
अपर सचिव

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री/मा0 पेयजल मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून।
6. संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
8. मण्डलायुक्त कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव

Scanned with CamScanner

अधिशासी अभियन्ता,
7. अधिशासी अभि...

उत्तराखण्ड शासन

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1

संख्या- /उन्तीस (1)/2021-(घोषणा-1)2021

देहरादून दिनांक- 26 नवम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

विधान सभा सत्र के दौरान दिनांक 26.08.2021 को मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या-414/2021 "राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत प्रतिशत माफ किया जायेगा" के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त पेयजल एवं सीवर सुविधा के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं (घरेलू/व्यवसायिक) के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लम्बित तथा दिनांक 31.03.2022 तक सृजित होने वाले जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की धनराशि शत-प्रतिशत माफ किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1- जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के विलम्ब शुल्क 31 दिसम्बर [illegible] तक माफ किये जाने पर इस स्थगन अवधि में जल/सीवर सरचार्ज [illegible] किये जायेंगे तथा ऐसे उपभोक्ताओं से स्थगन अवधि के लिए कोई विलम्ब शुल्क सरचार्ज नहीं लिया जायेगा।

2- उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त जल मूल्य/सीवर शुल्क के अवशेष देयकों के भुगतान एकमुश्त किये जाने की दशा में निर्धारित विलम्ब शुल्क यथा नियम प्रक्रियानुसार लिया जायेगा।

3- जल मूल्य एवं सीवर शुल्क की उक्त स्थगन अवधि के उपरान्त [illegible] विलम्ब शुल्क की गणना कर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रमाणकों सहित प्रस्ताव [illegible] उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-676/XXVII(2)/2021 दिनांक 18 नवम्बर 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव

पत्र सं0-1436/उन्तीस (1)/2021-(घोषणा-1)2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव (प्रभारी), मुख्यमंत्री कार्यालय, घोषणा अनुभाग, को उनके पत्र दिनांक 28.08.2021 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान सभा सत्र के दौरान की गयी घोषणा संख्या-414/2021 "राज्य के समस्त जल/सीवर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2021 तक अवशेष देयकों का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलम्ब शुल्क की राशि शत-प्रतिशत माफ किये जायेगा" की पूर्ति उपरोक्तानुसार कर ली गयी है, अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
देहरादून : दिनांक– मार्च, 2022

कार्यालय आदेश

राज्यान्तर्गत घरेलू जलापूर्ति को मीटर के माध्यम से संचालित किये जाने के उद्देश्य से जलापूर्ति के न्यूनतम् प्रभार की दरों को पुनरीक्षित किये जाने तथा न्यूनतम् प्रभार से अधिक हुई खपत पर जल मूल्य की दरें निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30.01.2013 में घरेलू मीटरयुक्त जल संयोजन हेतु निर्धारित जल मूल्य की न्यूनतम् प्रभार की दरों में निम्नवत प्रतिबन्धों के अधीन संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

(1) राज्य के घरेलू मीटरयुक्त संयोजन वाले उपभोक्ताओं हेतु निर्धारित न्यूनतम् प्रभार 10 किलोलीटर के स्थान पर 20 किलोलीटर अर्थात् 20 किलोलीटर तक की खपत के लिए न्यूनतम् प्रभार लिया जायेगा, तथा
(2) 20 किलोलीटर से अधिक की खपत पर न्यूनतम् प्रभार तथा 20 किलोलीटर से अधिक हुई खपत पर वर्तमान में प्रचलित प्रति किलोलीटर की दरों से जल मूल्य चार्ज किया जायेगा, तथा
(3) उक्त व्यवस्था से उत्तराखण्ड जल संस्थान को होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

2. उत्तराखण्ड जल संस्थान की अधिसूचना दिनांक 30.01.2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध0शासकीय पत्र संख्या–1338 / XXVII(2) / 2021–22 दिनांक 08.01.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Signed by Sunil Singh
Date: 29-03-2022 15:29:03
(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
- निजी सचिव, मा0मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को मा0मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जी के संज्ञानार्थ।

1. - निजी सचिव, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग महोदय के संज्ञानार्थ।
2. - प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उपरोक्तानुसार।
3. - मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान को उपरोक्तानुसार।
4. - महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
5. - गार्ड फाईल।

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

दूरभाष (का0) 0135–2676260
फैक्स 0135–2676177

उत्तराखण्ड जल संस्थान

'जलभवन' बी–ब्लॉक, नेहरू कालोनी, देहरादून।

पत्रांक 661 / वि0अनु0 / 02 / टैरिफ / 2021–22 दिनांक : 07/05/2022

अति महत्वपूर्ण / ई–मेल

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः शहरी क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों को रू0 100.00 में जल संयोजन दिये जाने विषयक।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–6061 दिनांक 10–01–2022 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 1623 दिनांक 06–01–2022 के क्रम में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों को रू0 100 में जल संयोजन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

उक्त शासनादेश दिनांक 06–01–2022 में की गई व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन द्वारा पत्र संख्या–DWS-1A/10/84/2022-XXIX-1 Drinking Water Department (Computer NO 20940)/21011/2022 दिनांक 25 अप्रैल, 2022 से निम्नवत् व्याख्या की गई है–

राज्य के ऐसे निर्धन परिवार, जिनके पास 100 वर्गमीटर से अनधिक माप तक ही भूखण्ड उपलब्ध है तथा उनके द्वारा इसी माप के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है अथवा कराया जाना है अथवा करा रहे हों, को ही धनराशि रू0 100.00 में जल संयोजन दिया जायेगा। किसी भी दशा में भूखण्ड की माप 100 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगी। किसी ऐसे परिवार जो 100 वर्गमीटर से अधिक माप के भूखण्ड का स्वामी है तथा वह मात्र 100 वर्गमीटर के कवर्ड एरिया में भवन निर्माण करा रहा हो अथवा कराये जाने का इच्छुक हो अथवा 100 वर्गमीटर कवर्ड एरिया पर निर्मित भवन का स्वामी हो, के द्वारा यदि उक्त शासनादेश दिनांक 06–01–2022 में की गई व्यवस्था के तहत जल संयोजन दिये जाने की मांग करता है, को जल संयोजन नहीं दिया जायेगा। उक्त पत्र दिनांक 06–01–2022 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के निर्धन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों को ही मात्र कवर किया जाना है।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 2022 की प्रति आपको संलग्न कर अनुपालानार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

(एस0के0 शर्मा)
मुख्य महाप्रबन्धक

Terrif Letter P - 311

प्रेषक,

सुनील सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–01 देहरादून: दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषय : शहरी क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों को धनराशि रू0 100.00/– में संयोजन दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–6894 दिनांक 22.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों को धनराशि रू0 100.00/– में संयोजन दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1623 दिनांक 06.01.2022 में किये गये प्राविधानों को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

131 27-04-22

2. उल्लेखनीय है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों के निर्धन परिवारों को रियायती दरों पर जल संयोजन दिये जाने की यह व्यवस्था बनायी गयी है कि ऐसे निर्धन परिवार, जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अनधिक माप तक ही भूखण्ड उपलब्ध है तथा उनके द्वारा इसी माप के भूखण्ड पर भवन निर्माण कराया गया है अथवा कराया जाना है अथवा करा रहे हों, को ही धनराशि रू0 100.00 में जल संयोजन दिया जायेगा। किसी भी दशा में भूखण्ड की माप 100 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी। किसी ऐसे परिवार जो 100 वर्गमीटर से अधिक माप के भूखण्ड का स्वामी है तथा वह मात्र 100 वर्गमीटर के कवर्ड एरिया में भवन निर्माण करा रहा हो अथवा कराये जाने का इच्छुक हो अथवा 100 वर्गमीटर कवर्ड एरिया पर निर्मित भवन का स्वामी हो, के द्वारा यदि उक्त पत्र दिनांक 06.01.2022 में की गयी व्यवस्था के तहत जल संयोजन दिये जाने की मांग करता है, को जल संयोजन नहीं दिया जायेगा। उक्त पत्र दिनांक 06.01.2022 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के निर्धन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों को ही मात्र कवर किया जाना है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र संख्या–1623 दिनांक 06.01.2022 के कियान्वयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

OSD | श्री रावत जी

भवदीय,

Signed by Sunil Singh
Date: 25-04-2022 14:27:59

27/4.
Chief General Manager

Generated from eOffice by PANKAJ KUMAR MISHRA, SO-PKM, SECTION OFFICER, Drinking Water Department on 25/04/2022 03:46 PM

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्याः–   /उन्तीस (1)/2022–(घोषणा संख्या–1)2020
देहरादून : दिनांक– 06 जनवरी, 2022

कार्यालय ज्ञाप

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्डधारक, जो गरीब परिवार की श्रेणी में सम्मिलित हैं तथा 100 वर्गमीटर से अनधिक माप के प्लॉट/कवर्ड एरिया में निर्मित भवन स्वामी हैं अथवा 100 वर्गमीटर से अनधिक माप के प्लॉट/कवर्ड एरिया पर भवन निर्माण कराना चाहते हों या करा रहे हों, ऐसे परिवारों को धनराशि रू0 100.00 में जल संयोजन की सुविधा प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासन के पत्र संख्या–110/उन्तीस(1)/2021–(घोषणा संख्या–1)/2020 दिनांक 18.01.2021 में निम्नलिखित संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

राज्य के नगरीय क्षेत्रों में निवासरत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक परिवारों, जो गरीब परिवार की श्रेणी में सम्मिलित हैं अथवा ऐसे परिवार जो 100 वर्गमीटर से अनधिक माप के प्लॉट/कवर्ड एरिया में निर्मित भवन स्वामी हैं अथवा 100 वर्गमीटर से अनधिक माप के प्लॉट/कवर्ड एरिया पर भवन निर्माण कराना चाहते हों या करा रहे हों, को धनराशि रू0 100.00 में जल संयोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

1519
07-01-2022

2. जल–मूल्य एवं सीवर–शुल्क की दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में पृथक से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्ध0शासकीय पत्र संख्या–797/xvii(2)2021 दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

10/1/22

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

General Manager

पत्र सं0–1623/उन्तीस (1)/2022–(घोषणा संख्या–1)2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–1
संख्याः– 344 / 47820 / 2023
देहरादून : दिनांक 12 मई, 2023

कार्यालय आदेश

जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू–धंसाव / भूस्खलन के कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित घरों / भवनों में अध्यासित पेयजल एवं सीवर उपभोक्ताओं पर भारित अग्रिम छः माह के देयकों को माफ किये जाने के संदर्भ में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के कम में सम्यक विचारोपरान्त जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत आपदा प्रभावित परिवारों / व्यक्तियों के कुल 1235 जल संयोजन तथा 335 सीवर संयोजनों के छः माह (माह नवम्बर, 2022 से माह अप्रैल, 2023 तक) के देयकों को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इन उपभोक्ताओं के छः माह (माह नवम्बर, 2022 से माह अप्रैल, 2023 तक) के वर्तमान में प्रचलित टैरिफ के अनुसार देयकों की कुल धनराशि रू0 31,55,928.00 (रू0 इकत्तीस लाख पचपन हजार नौ सौ अट्ठाइस) की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

178
16/5/23

यह आदेश वित्त विभाग की कम्प्यूटर जनित संख्या– I / 114357 / 2023 दिनांक 11.04.2023 में प्राप्त उनकी सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by Karmendra Singh
Date: 10-05-2023 17:13:33
(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

Shri Ajay

पत्र सं0– 344 / 47820 / 2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

20/05

1. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी को मा0मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाइल।

Sr AO

(कर्मेन्द्र सिंह)
अपर सचिव।

(Chief General Manager)